निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/...2017/2350 ... प्र. 2350/2017

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

1- लखमन लोधी तनय श्री गनेश लोधी आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम बुदौरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ़

2- मैलान लोधी तनय कूरा लोधी आयु 40 वर्ष
नि• ग्राम बुदौरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म• प्र•

— पुनरीक्षणकर्तागण

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 25.7.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- महिला रानबाई पुत्री रामदीन लोधी आयु 32 वर्ष
निवासी ग्राम बुदौरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ़

2- महिला जानकी पत्नि अच्छेलाल लोधी आयु 46 वर्ष
निवासी ग्राम बुदौरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ़

3- महिला सावित्री पुत्री अच्छेलाल लोधी आयु 28 वर्ष
निवासी ग्राम बुदौरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ़

— उत्तरवादीगण

25/7/17

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय आदेश दिनांक 30/06/2017 प्रकरण क्रमांक- 36/अ-12/2016-17 अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल डारगुंवा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ (म• प्र•) के विरुद्ध

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म• प्र• भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने के प्रमुख आधार निम्न प्रकार है :-

(1) यह कि निर्णय व आदेश विद्वान राजस्व निरीक्षक डारगुंवा विधि, प्रक्रिया एवं तथ्यों के विरुद्ध है ।

(2) यह कि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन कराये जाने का अधिकार तहसीलदार को है भले ही उनके निर्देश पर सीमांकन राजस्व निरीक्षक करे किन्तु मामले को निर्णीत करने का अधिकार राजस्व नि.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2350/2017 जिला– टीकमगढ़

लक्ष्मन लोधी व अन्य विरूद्ध महिला पानबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक क्र. 1 की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल डारगुंवा, तहसील बल्देवगढ़, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष **दिनांक 10–05–2019** को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 15/03/19 (आर.के. जैन) सदस्य	